FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Rudraprayag

No--18

Dated 27 05 2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.7500 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Provincial Division P.W.D. Rudraprayag (name of user agency) for Construction of road from Fatudu Budhana-Nagela-Bhet-Ekling-Kandwalgaon-Sunargaonto GIC Dhurangaon to Dhanyoun Motor Road under District Sector (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Budhana village (s) in Jakholi tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entirel. Thectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 3.3 to ...annexure 3.3.12
 - the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
 - the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(b)

(c)

Mangesh Ghildival (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)

68

District Magistrate Rudraprayag

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)** District Magistrate **Rudraprayag** on date 27.095 2009 at time 4:30.04 ...at **Rudraprayag** in which application claiming rights in Forest area measuring 1.7500 hect for the **Construction of road from Fatudu to GIC Budhana-Nagela-Bhet-Ekling-Kandwalgaon-Sunargaon-Dhurangaon** to **Dhanyoun Motor Road under District Sector (3.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag Dated: 2.7 9.5. 2019

Jungh

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.) District Magistrate-cum-Chairman, District Level Committe, Rudraprayag

District Magistrate Rudraprayag

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण) परियोजना के निर्माण हेतु (1.7500 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.7500 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम --------- के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है,

ह0/-ग्राम सचिव

नोट :--यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपन्न उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :— जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी—घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला—भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांद होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

दिनांक <u>श्रीशा</u>की ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...बुदना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	9 BY HE DUTT	yoo.
Ø	र हीयम्स्ट द्वीत के साथत	Kakanduel
2	152/102 391 4917	RK
1	9 भरत 1591 छट्ट्य	विम्स
3	र बार लाल ।।	2rtall
	alersal "	377211
1	11	ARCA
9	1190129 11	500001
(34154/ 11	
	Moldie 1	
- 6	and a	(92)
	arcente 29 212 Vinua	2186746
	4 EB	act
	ALATEE	212610
	a man a start of the later	

रांलग्न है। विकास जण्ड जखोली

ह0 / ग्राम प्रध

71

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा०इ०का ब्दना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला-मेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण (1.7500 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.7500 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक ----- को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री – -, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है। 191793 उप जिल 1- श्री रेट्र वर्ता मन्त्र उपजिलाधिकारी -19-09-201 आध्यक्ष C.A.U

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ०का बुढना नगेला-भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना हेत. 1.7500 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के रामक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा०इ०का बुढना नगेला–भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.7500 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

72

बबोली ाः भद्र रद्रप्रयाग

महागन CD.IT. Frem विकास जरवाल अनपट रूदपराम

राजस्व उप निरीक्षक जनपद-रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी / अन्यस् 9-09-2016 उपखण्ड स्तर्भय क्व अध्य उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-जखीली, जनपद रुद्रप्रियागत उप जिलाधिकार प्रवाली

विकास सण्ड जराति।

जनपद रुद्रप्रयाग